

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-3/एम-78/2005-2401 कार्मिक दिनांक-18.07.07 की कंडिका-4 के प्राधानुसार संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों के मानदेय निर्धारण हेतु प्राधिकृत समिति की बैठक दिनांक-19.06.2017 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरांत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना एवं राजकीय फार्मसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना के मानदेय के निर्धारण की स्वीकृति निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है -

- A. चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के लिए :-  
प्राध्यापक - 1,32,500 / -रु0  
सह-प्राध्यापक - 86500 / -रु0  
सहायक प्राध्यापक - 75000 / -रु0
- B. पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल के लिए :-  
प्राध्यापक - 1,32,500 / -रु0  
रीडर - 86500 / -रु0  
व्याख्याता - 75000 / -रु0  
ट्यूटर - 59000 / रु0
- C. राजकीय फार्मसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना के लिए :-  
प्राध्यापक - 1,16,000 / -रु0  
सह-प्राध्यापक - 1,13,500 / -रु0  
सहायक प्राध्यापक - 54000 / -रु0

- (2.) मानदेय में यह वृद्धि आदेश दिनांक-01.04.2017 से प्रभावी होगा एवं वार्षिक वृद्धि पर निर्णय अलग से लिया जायेगा।  
(3.) प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

ह0 /

(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :-17/डी0 01-03/2013 - 435 (17/पटना, दिनांक :- 27/7/17


प्रतिलिपि :-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्राचार्य, सभी चिकित्सा महाविद्यालय, एवं अस्पताल, बिहार/प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल/प्राचार्य, राजकीय फार्मसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव के निजी सहायक/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रशाखा-17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 एवं 17/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
26/7/17  
सरकार के विशेष सचिव।